



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033



क्रमांक 61(271) SSAAT / सा.अंके. निर्देश / 2024-25

दिनांक

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(महात्मा गांधी नरेगा योजना)
समस्त राजस्थान

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 की प्रथम एवं द्वितीय छः माही के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम 2024-25 में संशोधन बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 1168 दिनांक 12.06.2024

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में सोसायटी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित प्रतिभागियों एवं जिला स्तर पर चयनित नवीन ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों से ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं आगे जुड़ने वाली नई योजनाओं के समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के वर्ष 2023-24 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही तथा वर्ष 2024-25 की प्रथम छःमाही का संदर्भित पत्र द्वारा जारी सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में जनवरी 2025 (द्वितीय चरण) से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण की संशोधित समय सारिणी:-

वर्ष 2023-24 (प्रथम एवं द्वितीय छः माही) एवं वर्ष 2024-25 का प्रथम छःमाह का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	सामाजिक अंकेक्षण दिनांक	सामाजिक अंकेक्षण दिवस	ग्राम सभा की दिनांक
1	09.01.2025 से 12.01.2025	04	13.01.2025
2	15.01.2025 से 18.01.2025	04	19.01.2025
3	20.01.2025 से 23.01.2025	04	24.01.2025
4	27.01.2025 से 30.01.2025	04	31.01.2025
5	01.02.2025 से 05.02.2025	05	06.02.2025
6	07.02.2025 से 11.02.2025	05	12.02.2025
7	13.02.2025 से 17.02.2025	05	18.02.2025
8	19.02.2025 से 23.02.2025	05	24.02.2025
9	25.02.2025 से 01.03.2025	05	02.03.2025
10	03.03.2025 से 06.03.2025	04	07.03.2025
11	08.03.2025 से 11.03.2025	04	12.03.2025
12	15.03.2025 से 18.03.2025	04	19.03.2025
13	20.03.2025 से 23.03.2025	04	26.03.2025
14	25.03.2025 से 28.03.2025	04	30.03.2025

Signature valid

Digitally signed by Mohsin Khar
Designation : Director
Date: 2025.01.08 15:44:55 IST
Reason: Approved



उक्त सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर से अनुमोदित है।

(मोहम्मद मोहसिन खान)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही

एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

दिनांक

क्रमांक 61(271) SSAAT / सा.अंके. निर्देश / 2024-25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
6. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन/PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को भेजकर निवेदन है कि आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण दौरान समुचित सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायें। साथ ही ग्राम सभा के आयोजन की दिनांक को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् संबंधित को पालनार्थ।
10. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, संबंधित को पालनार्थ।
11. लेखाधिकारी, (प्रशासन), सहायक लेखाधिकारी (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
12. परियोजना अधिकारी (लेखा), समस्त जिला परिषद्, राजस्थान।
13. नरेगा लोकपाल, समस्त जिला परिषद्, राजस्थान।
14. जिला संसाधन व्यक्ति समस्त जिला परिषद्, राजस्थान।
15. प्रोग्रामर, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कलैण्डर्स, रिपोर्ट्स, अनुपालना (ATRs) रिपोर्ट्स एवं मानदेय भुगतान की स्थिति नियमित रूप से नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड होना सुनिश्चित करावें और सोसायटी एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
16. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग।
17. सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन/जिला संसाधन व्यक्ति समस्त को पालनार्थ।
18. डाक शाखा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र को डिस्पेच कर संबंधित को डाक/मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।
19. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

निदेशक (SSAAT)

Digitally signed by Mohammad

Mohsin Khan

Designation : Director

Date: 2025.01.08 15:44:55 IST

Reason: Approved

2